मतदेय स्थलों की सूची का आलेख्य प्रकाशन की सूचना
प्रेस–नोट

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–25 के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर वर्तमान मतदेय स्थलों के सम्भाजन–2018 के पश्चात विधान सभावार निर्धारित किए गये प्रस्तावित मतदेय स्थलों की संशोधित सूची तैयार कर ली गयी है जिसका आलेख्य प्रकाशन आज दिनांक 19.06.2018 को जनपद की समस्त तहसील कार्यालयों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त आलेख्य रूप से प्रकाशित की गयी मतदेय स्थलों की संशोधित सूची की प्रतियां जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों, एवं मा0 सांसद / विधायकगणों को भी उपलब्ध करा दी गयीं हैं तथा उक्त सूची की एक प्रति **amroha.nic.in** के **DEO Portal** पर भी अपलोड करा दी गयी है ।

अतः जनपद के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गयी प्रस्तावित मतदेय स्थलों की संशोधित सूची का अवलोकन कर अपने मतदान केन्द्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और यदि किसी मतदेय स्थल में परिवर्तन कराया जाना अपेक्षित हो तो वह अपने सुझाव/आपत्ति दिनांक 29.06.2018 तक संबंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें । उक्त तिथि के बाद प्राप्त सुझावों पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

19.6.18

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अमरोहा ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा

संख्या 467 /29–मतदेय स्थल प्रका0/2018 दिनांक 19 जून, 2018

प्रतिलिपि–1– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2–मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
3–मा0 सांसद/विधायकगण एवं समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष जनपद अमरोहा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपको उपलब्ध करायी गयी प्रस्तावित मतदेय स्थलों की सूची में यदि किसी मतदान केन्द्र में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो अपने सुझाव निर्धारित दिनांक तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
4– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5– जिला सूचना अधिकारी अमरोहा को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया मतदेय स्थलों के प्रकाशन की सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में न्यूज आईटम के रूप में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें ।

19.6.18

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अमरोहा ।